राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 990/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जगदीश नारायण पाण्डे 265-275 गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड,, Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 26/03/2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से प्रगति आसोपा, सहायक आयुक्त उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-07-2017 के द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी नं0 3246/2002 के निर्णय दिनांक 19-12-2016 की पालना के संबंध में संधारित पत्रावली का अवलोकन करने व अन्य विषयों के संबंध में 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 13-03-2018 का प्रत्र प्रेषित किया है जिसमें रिकार्ड अवलोकन कर चिन्हित करने का कहा गया है। इसके तहत रिकार्ड अवलोकन कर चिन्हित करने पर सूचना प्राप्त करली जायेगी। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 08-08-2017 से रिकार्ड अवलोकन के सूचित किया गया लेकिन अपीलार्थी ने रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया। प्रथम अपील पेश होने पर सुनवाई तिथि दिनांक 07-09-2017 व 19-09-2017 के नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। प्रथम अपील दिनांक 25-09-2017 को खारिज की गई है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 16-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसके साथ पत्र दिनांक 08-08-2017, प्रथम अपील निर्णय दिनांक 25-09-2017 एवं पत्र दिनांक 13-03-2018 की प्रति संलग्न की गई है।

7. प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 13-03-2018 से अपीलार्थी को रिकार्ड अवलोकन के लिए बुलाया गया है। अपीलार्थी ने पत्र प्राप्त होना स्वीकार किया है। राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय व प्रथम अपील निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी निर्णय प्राप्त होने के 21 दिवस में रिकार्ड का अवलोकन कर सूचना चिन्हित करे तो नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर सूचना प्रदान की जावे।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त